

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं० 58/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ)– केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(i) क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"2	8443 31 00	सभी माल
2क	8443 32 10	सभी माल
2ख	8443 32 20	सभी माल
2ग	8443 32 30	सभी माल
2घ	8443 32 40	सभी माल
2ङ	8443 32 50	सभी माल
2च	8443 32 60	सभी माल " ;

(ii) क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"4	8443 99 (8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53 के सिवाय)	निम्नलिखित मालों के पुर्जे और उपसाधन (प्रिंट हैड संयोजन के साथ इंक कार्ट्रिज ; प्रिंट हैड संयोजन के बिना इंक कार्ट्रिज ; इंक स्प्रे नोजल के सिवाय), अर्थात् :-- (क) टैरिफ मद 8443 31 00 ; 8443 32 10, 8443 32 20, 8443 32 30, 8443 32 40, 8443 32 50, 8443 32 60 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ; (ख) इलैक्ट्रोस्टेटिक फोटोकापिंग साधित्र, प्रति पर सीधे मूल इमेज को पुनः उत्पादित करके प्रचालन (सीधे प्रोसेस) ; और (ग) किसी प्रकाशिक प्रणाली को निगमित करके, इलैक्ट्रोस्टेटिक से भिन्न फोटोकापिंग साधित्र " ;

(iii) क्रम सं० 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"13क	8517 11 10	सभी माल
13ख	8517 11 90	सभी माल

13ग	8517 18 10	सभी माल
13घ	8517 18 90	सभी माल
13ङ	8517 62 10	सभी माल
13च	8517 62 20	सभी माल
13छ	8517 62 30	सभी माल
13ज	8517 62 40	सभी माल
13झ	8517 62 50	सभी माल
13ञ	8517 62 60	सभी माल
13ट	8517 62 70	सभी माल
13ठ	8517 69 10	सभी माल
13ड	8517 69 20	सभी माल
13ढ	8517 69 30	सभी माल
13ण	8517 69 40	सभी माल
13त	8517 69 50	सभी माल
13थ	8517 69 60	सभी माल
13द	8517 69 70	सभी माल
13ध	8517 70 10	सभी माल";

(iv) क्रम सं० 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 354/20/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 32/2016-सीमाशुल्क, तारीख 5 मई, 2016, सा.का.नि. 487(अ) तारीख 5 मई, 2016 द्वारा किया गया था ।